



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी, 12, 2018/माघ 23, 1939

No. 551]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

का.आ. 630 (अ) .—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 फरवरी, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे; अर्थात्:-

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 2 [खंड (i) और खंड (xiii) को छोड़कर] और धारा 3;
2.	धारा 7;
3.	धारा 9;
4.	धारा 11 और धारा 12;
5.	धारा 14;
6.	धारा 17;
7.	धारा 27 से धारा 29 (दोनों शामिल हैं);
8.	धारा 32;
9.	धारा 34 और धारा 35;
10.	धारा 38;
11.	धारा 41 से धारा 45 (दोनों शामिल हैं);
12.	धारा 47 और धारा 48;
13.	धारा 50 और धारा 51;
14.	धारा 53;
15.	धारा 59 और धारा 60;

16.	धारा 63 से धारा 65 (दोनों शामिल हैं);
17.	धारा 72 से धारा 74 (दोनों शामिल हैं);
18.	धारा 77 से धारा 79 (दोनों शामिल हैं);
19.	धारा 82;
20.	धारा 84 और धारा 85;
21.	धारा 90 से धारा 93 (दोनों शामिल हैं)।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.।]

के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

**Ministry of Corporate Affairs
Notification**

New Delhi, the 9th February, 2018

S.O. 630 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 9th February, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :-

Sl.No.	Sections
1.	Section 2 [except clause (i) and clause (xiii)] and section 3;
2.	Section 7;
3.	Section 9;
4.	Sections 11 and 12;
5.	Section 14;
6.	Section 17;
7.	Sections 27 to 29 (both inclusive);
8.	Section 32;
9.	Sections 34 and 35;
10.	Section 38;
11.	Sections 41 to 45 (both inclusive);
12.	Sections 47 and 48;
13.	Sections 50 and 51;
14.	Section 53;
15.	Sections 59 and 60;
16.	Sections 63 to 65 (both inclusive);
17.	Sections 72 to 74 (both inclusive);
18.	Sections 77 to 79 (both inclusive);
19.	Section 82;
20.	Sections 84 and 85;
21.	Sections 90 to 93 (both inclusive).

[F. No. 1 /1 /2018-CL.।]

K.V.R. MURTY, Joint Secy.